

**क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण प्रपत्र**

1. परियोजना का नाम :- जनपद चमोला के विधानसभा क्षेत्र बराले के सन्तगत तिवासरुद नागाबाग में फाकोट से इडुवागाड मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य।
2. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- .....
3. प्रभाग का नाम :- वनीनाथ वन प्रभाग
4. परियोजना में प्रभावित वन भूमि (है०) :- 2.61 है०
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित/चयनित भूमि (है०) :- 5.22 है०
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम :- चोपता
7. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :- ओ० निर्माण विभाग
8. संयुक्त निरीक्षण की तिथि :- 28/11/2025
9. संयुक्त निरीक्षण प्रतिनिधियों की संख्या एवं विवरण (राजस्व विभाग/प्रस्तावक विभाग/वन विभाग) :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.	राजिनी	कोषक अधिकारी	ओ० निर्माण		
2.	प्रियांशु रावत	हामीन			
3.	जयपाल मण्डारी	उप वन अधिकारी	वन विभाग		
4.	विश्विन कुमार	राजस्व अधिकारी	राजस्व विभाग		
5.					
6.					

10. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रस्तावित भूमि का विवरण (राजस्व विभाग) :-
  - i- क्षेत्र/स्थल का नाम- चोपता v- खाता संख्या- 9(3) ड०
  - ii- कुल क्षेत्रफल (है०)- 5.22 है० vi- खसरा संख्या- 2033
  - iii- भूमि का प्रकार-(वनीनाथ / .....) vii- चयनित खसरे का कुल रकवा- 9.128 है०
  - iv- भूमि की श्रेणी- N.Z.A

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम- चोपता भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल- 9.128 है० है, तथा चयनित भूमि वन पंचायत की भूमि नहीं है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित खसरों में अर्जित रकवा पूर्व में किसी भी अन्य परियोजना/वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित/हस्तान्तरित/आवंटन नहीं किया गया है।

अनिवार्य संलग्नक (✓ कर अंकित करें)

- उक्त भूमि का राजस्व मानचित्र (जिसमें चयनित क्षेत्र को खसरावार अंकित किया गया है) की छायाप्रति।
- उक्त भूमि के खाता-खतौनी अभिलेख की छायाप्रति।

**जयपाल सिंह मण्डारी**  
 उप वन क्षेत्राधिकारी  
 फाकोट अनु० अधिकारी  
 दिनांक 28/11/25

राजस्व विभाग प्रतिनिधि

(2)

11. चयनित/प्रस्तावित भूमि की मौके की स्थिति (प्रस्तावक विभाग/वन विभाग) :-

i- चयनित/प्रस्तावित भूमि का खसरावार मौके पर अस्थाई चिन्हीकरण किया गया है। (हां/नहीं)..... हां

ii- चयनित खसरों का मौके पर अस्थाई चिन्हीकरण के पश्चात् पाया गया क्षेत्रफल (है०)..... 5.22 हे०

iii- कुल क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के पैचों की संख्या-..... 01

iv- चयनित खसरों की एक खसरे से दूसरे खसरे (यदि अलग-अलग पैच में वृक्षारोपण क्षेत्र हों) तक की दूरी (मीटर).....

v- चयनित/प्रस्तावित भूमि का आसपास की ग्रामसभाओं तथा वन पंचायत संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है (हां/नहीं)..... हां

vi- चयनित/प्रस्तावित भूमि के जी०पी०एस० मान (न्यूनतम 06) प्रत्येक पैच का 06 G.P.S पृथक-पृथक जो क्षेत्र के चारों तरफ का प्रतिनिधित्व करता हो-


क्र.सं.	अक्षांश Longitude	देशान्तर Latitude	क्र.सं.	अक्षांश Longitude	देशान्तर Latitude
1	79°21'58.12"E	30°10'36.75"N	5	79°21'45.36"E	30°10'33.39"N
2	79°22'1.49"E	30°10'32.85"N	6	79°21'40.26"E	30°10'35.93"N
3	79°21'52.53"E	30°10'30.88"N	7	79°21'49.45"E	30°10'34.94"N
4	79°21'48.27"E	30°10'30.43"N	8		

नोट : चयनित/प्रस्तावित भूमि की सीमा पर G.P.S. डिवाइस द्वारा ट्रैक बनाकर संधारित किया जाय।

vii- अभ्युक्ति/अन्य विवरण (यदि कोई हो).....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-चौपता सिविल भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल-9.128 है० है, का दिनांक-28/11/25 को प्रस्तावक विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र का हरियाली का घनत्व 05 (%) है, जिस पर विभिन्न प्रजाति वांग एवं मिश्रित प्रजाति के क्षुत्तार के कुल 6000 पौधों का रोपण किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया गया।

हस्ताक्षर  
  
राजस्व विभाग प्रतिनिधि  
मुहर सहित

हस्ताक्षर  
  
प्रस्तावक विभाग प्रतिनिधि  
मुहर सहित

हस्ताक्षर  
  
वन क्षेत्र अधिकारी  
जयपाल सिंह महण्डारी  
उप वन क्षेत्र अधिकारी  
फारकोट अनु० अधिकारी  
दिनांक 28/11/25


"संयुक्त निरीक्षण कागजात"


आज दि० 28/11/25 को जनपद चमोली के नारायणबगड क्षेत्र में फारकोट से डुकागाड मोटरमार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि का संयुक्त निरीक्षण लोक निर्माण विभाग से कनिष्ठ अभियंता, अमीन, वन विभाग से उपवन क्षेत्राधिकारी तथा राजस्व विभाग से शंकर नि० नलगांव की उपस्थिति में किया गया, उक्त निरीक्षण में ग्राम सभा-चोपता के ग्राम प्रधान व ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रस्तावित भूमि ग्राम-चोपता शंकर नि० क्षेत्र नलगांव तहसील नारायणबगड की एन.सि.ए. (NZA) खतौली सं० 9(3)क के खसत सं० 2033 का एकका 5.220 ई० भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित का निरीक्षण किया गया समस्त विभागीय कर्मचारियों एवं ग्रामीणों के हस्ताक्षर किये गये,

  
28/11/25  
Amin

  
Shri. S. C. Purohit

  
जयपाल सिंह भण्डारी  
उप वन क्षेत्राधिकारी  
फारकोट अनु० अधिकारी  
दिनांक 28/11/25

  
28/11/25

  
सर्वेश चोपता

  
जयपाल सिंह

 - कनिष्ठ प्रमुख नारायणबगड



# अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 28/11/28 को लौ० सि० डि० व राजस्व विभाग तथा वन विभाग के द्वारा फारकोट डडुवागाड मोल्ड मन्डी की क्षतिपूर्ति वसूलीकरण हेतु ग्राम सभा कोपला के सिविल प्रसि का निरीक्षण कर चयन किया गया। जिसमें ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।



सोहन सिंह	सोहन देवी
सुदर्शन सिंह	सुदर्शन देवी
मोहन सिंह	Mohan
मंजू देवी	मंजू देवी
कविता देवी	कविता देवी
पूजा देवी	पूजा देवी
सोहन देवी	सोहन देवी
माहेश्वरी	माहेश्वरी देवी
नीमा	नीमा देवी